मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 742/896/2013/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 27 जून, 2013
प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0,
गौतम नगर, भोपाल।

विषयः– निःशक्तजनों हेतु भर्ती में अधिकतम आयु सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।
संदभः– आपका पत्र क./शि.कर्मी/2013/1489, दि. 22 जून 2013.

:::::

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

इस विभाग के परिपत्र द्वारा जारी बुकलेट दिनांक 31 मार्च, 2005 की कंडिका–(सात) (एक) द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर निःशक्तजनों को 10 वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश हैं। इसके अलावा 05 जनवरी, 2010 में भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर निःशक्तजनों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

अब सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांकःसी 3–11/12/1/3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012 द्वारा सामान्य अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष करते हुए यह भी निर्धारित किया गया है कि "सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी"।

अतः उपरोक्तानुसार विकलांग अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक की पात्रता है।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरन्तर-2

सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक 742/896/2013/आ.प्र./एक दिनांक 27.6.13

पृष्ठा.क्रमांक/शि.कर्मी/ई/2013/1533 **भोपाल,दिनांक 4.7.2013**

प्रतिलिपि–

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,

मध्यप्रदेश।

3/7/13

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश